फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

धीसूसिंह बनाम मदनसिंह (वगैरा)

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं० 65 सन् 2021

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जावे। विपक्षीगण को समन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 30.9.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
22/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किया गया। पटवारी पटवार हल्का की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

5

[न्या]यालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

[पी]ठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

63/21 प्रा. पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

[प्रकरण] संख्या सज्जन सिंह S/o श्री किशोर सिंह राजपूत निवासी-चांदरास, त०मांडल

--प्रार्थी

मदनसिंह S/o श्री प्रताप सिंह राजपूत निवासी- चांदरास त० मांडल (ओदी)

(खातेदार विपक्षीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 22.10.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चांदरास 2894, 497, 500, 496/1/1/1 पटवार हल्का चांदरास तहसील मांडल/में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. .... कुल किता 04 रकबा 0.8093 हेक्टेयर — स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.8.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम चांदरास पटवार हल्का चांदरास तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 2894/496, 497, 500/1, 503/1 कुल किता 04 रकबा 0.8093 हेक्टेयर — भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक चांदरास को 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में .... स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:25:43 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मांडल
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी मांडल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

दिनांक ....